राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बाबूलाल बनाम सुभाष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	964/2025	
03/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
09/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/05/2025 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को ग्राम खैरवाडी, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू-अ.नि.क्षे. बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 105 में वर्णित खसरा नम्बर 193/477 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 194/476 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61/464 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65/469 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.6500 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर भूमि राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियम 18 से 21(राजस्व मंडल अजमेर) की पालना करते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिसे अनुसार उभयपक्षकारान की मौजूदगी में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कब्जेकाश्त को मध्यनजर रखते हुये पहुंच मार्ग/रास्ता प्रदान करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी बाबूलाल एवं शंकरलाल पुत्रान स्व. नाथूराम के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/05/2025 यथावत रखा जाता है एवं अपील संख्या 964/2025 ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	